

ख्या 1.4325 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा गया है। प्रतिवादी संख्या 5 जसोदा गो एवं प्रतिवादी संख्या 6 कानाराम के सह हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 5 रकबा 4.6782 हैक्टेयर रखा गया है। माफिक बंट अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद ही होने एवं किसी भी प्रकार कि सरकारी सहायता का लाभ नहीं मिल पाने के कारण यह वाद पेश किया जा रहा है। राज्य सरकार ऐसे दावों में आवश्यक पक्षकार होने से तहसीलदार डेह को भी पक्षकार बनाया है। जिसे माफिक वादपत्र स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावे तथा तहसीलदार डेह को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद हेतु तहरीर जारी करे।


वादी का वाद पत्र न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में होने से दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 कि ओर अधिवक्ता श्री मनिराम कड़वासरा ने वकालतनामा मय इकबाली जवाब के प्रस्तुत किया जो सामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 7 को जारी सम्मन बाद तामिल प्राप्त जो परफोर्मा पक्षकार है। प्रतिवादी संख्या 1 से 6 कि ओर इकबाली जवाब एवं प्रतिवादी संख्या 4 परफोर्मा पक्षकार होने से विवाद्यक बिन्दू (तनकीयात) की आवश्यकता नहीं होने से तय नही किये गये तथा पत्रावली साक्ष्य वादी हेतु नियत की गई।

साक्ष्य वादी में वकील वादी ने नकल जमाबंदी सम्वत् 2073-76 मौजा नयागांव के खाता संख्या 83 प्रदर्ष-1 कराई। वकील वादी ने ओर साक्ष्य पेश नहीं करने का निवेदन पर साक्ष्य वादी बंद की गई। प्रतिवादी संख्य 1 से 6 कि ओर से इकबालीया जवाब दाव पेश होने से साक्ष्य प्रतिवादी की आवश्यकता नहीं होने से पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

बहस वकूलाय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद पत्र में किये गये कथनों को दोहराया तथा वाद को डिक्री करने का निवेदन किया। वकील प्रतिवादीगण ने वादपत्र को वाद के पेशाज के अनुसार डिक्री किये जाने में सहमति दौराने बहस व्यक्त की। मेरे द्वारा वादी के अभिकथनों तथा साक्ष्य के तौर पर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वादी के वाद तथा प्रस्तुत दस्तावेजो से वादी के वाद की आंशिकतः ताईद होती है तथा किसी भी पक्षकार द्वारा वाद का विरोध नही किया गया है। तहसीलदार डेह को परफोर्मा पक्षकार के रूप में वाद पत्र पर संयोजित किया गया है। पक्षकारान द्वारा मौजा नयागांव के खसरा नम्बर 23 व 5 का बंट चाहा गया है जो कि पक्षकारान कि पुश्तैनी भूमि रहती आई है। पुश्तैनी भूमि में सभी काश्तकार अपने अपने बंट का विभाजन अलग करवा सकते है। वाद के पैरा संख्या 2 के बिन्दु क, ख ग, घ, ङ एवं च में सभी पक्षकार का अलग-अलग बंट अंकित किया गया है एवं उसी अनुसार पक्षकार द्वारा बंट चाहा गया है एवं किसी भी पक्षकार द्वारा इसका विरोध प्रकट नहीं किया गया है। मौजा नयागांव के खेत खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर एवं खसरा नम्बर 5 रकबा 4.6782 हैक्टेयर में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 को प्रतिवादी संख्या 6 के साथ सहखातेदार कृषक घोषित करते हुए वाद अनुसार वाद को डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

— : आदेश :-

अतः उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर वाद वादी का स्वीकार किया जाकर डिक्री निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है।



1. वादी ओमप्रकाश के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर में से रकबा 1.4325 हैक्टेयर पश्चिमि भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 1 माधूप्रसाद के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर में से रकबा 1.4325 हैक्टेयर ओमप्रकाश के चिपते पूर्व में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 2 सहीराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर में से रकबा 1.4325 हैक्टेयर माधूराम के चिपते हि पूर्व में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 3 देवाराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर में से रकबा 1.4325 हैक्टेयर सहीराम के चिपते ही पूर्व में माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
5. प्रतिवादी संख्या 4 रामूराम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 23 रकबा 7.1629 हैक्टेयर में से रकबा 1.4325 हैक्टेयर पूर्वी भाग माफिक नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 5 जसोदा देवी एवं प्रतिवादी संख्या 6 कानाराम के सह हक बंट सह कब्जा काश्त में मौजा नयागांव का खसरा नम्बर 5 रकबा 4.6782 हैक्टेयर रखा जाकर सहखातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
7. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेग। बैंक सूचित हो।
8. माफिक वादपत्र के संलग्न नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

माफिक आदेश डिक्री पर्चा जारी हो। तहसीलदार डेह को आदेश दिया जाता है कि वे माफिक डिक्री आदेश अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद की कार्यवाही सुनिश्चित करे। मिसल फ़ैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल

निर्णय आज दिनांक 30/12/23 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(ओमप्रकाश वर्मा)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जायल